

दावा संख्या 149/2016

उनवान

1. गोपाल पुत्र कल्याण जाति खटीक निवासी बगडी तह0 पीपलू

वादी

बनाम

1. छीतर पुत्र कल्याण जाति खटीक निवासी बगडी तहसील पीपलू जिला टोंक

प्रतिवादी

तारिख दायरा 26.9.2016

निर्णय दिनांक 15.3.2018

अधिवक्ता वादी :- श्री विवेक चौधरी
प्रतिवादी चतुर्भुज गुर्जर

वाद बाबत स्थायी निषेधाज्ञा

निर्णय

प्रकरण के संक्षेप तथ्य इस प्रकार है कि भूमि आराजी खसरा नं0 1140/2 रकबा 2 बीधा 06 बिस्वा वाके ग्राम बगडी तहसील पीपलू में वादी की रिकोर्डेड खातेदारी भूमि है। उक्त वर्णित भूमि के अडवा ही भूमि ख0न0 983 रकबा 5 बीधा 13 बिस्वा भूमि स्थित है। जिसमें वादी का भी हक हिस्सा निहित है और वादी अपने हिस्से पर काबिज होकर काश्त कर रहा है। किन्तु उक्त भूमि प्रतिवादी के नाम है। वादी व प्रतिवादी सगे भाई हैं प्रतिवादी उक्त वर्णित आराजी में से अपने भाई वादी को कोई हिस्सा नहीं देना चाहता है। इस कारण से वादी की उक्त वर्णित तन्हा खातेदारी की आराजी को लेकर विवाद उत्पन्न होता है। जिसका उसे कोई वैधानिक अधिकार प्राप्त नहीं है। जिससे वादी को परेशान करने की नियत से न्यायालय में झुठा दावा पेश किया है। अतः प्रतिवादीगण को पाबन्द नहीं किया जायेगा तो वादी को अपार हानि होगी इस कारण प्रतिवादीगण को पाबन्द फरमाया जावे की वादी को उसके पूर्वजों की बनाई हुई आराजी का उपयोग -उपभोग करने मजाहमत नहीं करे एवं वादी द्वारा अनाधिकृत प्रवेश नहीं करे मेड को नुकसान नहीं पुहचाने व मेड तोड़कर वादी के खेत में कुछ हिस्सों को अपने खेत में नहीं मिलाने हेतु व कब्जे से बेदखल नहीं करे प्रतिवादी को पाबन्द किया जाकर दावा डिकी किया जावे।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर तलबी प्रतिवादी की गई। प्रतिवादी की ओर से जरिये अधिवक्ता ने जवाब पेश कर निवेदन किया है कि वादी द्वारा समस्त चरण गलत है स्वीकार नहीं है प्रतिवादी न0 1 ने उक्त आराजी ख0न0 983 खरीद कर अपनी कय शुद्धा भूमि में चाह का निर्माण करवाया है लेकिन वादी ने राजस्व कर्मचारियों से मिलीभगत करके चाह को अपनी भूमि ख0न0 1140 के नक्शा शीट में अंकित करवा लिया है। जबकी चाह मौके पर ख0न0 983 में दर्ज है। तथा गलत नक्शा शीट के आधार पर विजली कनेक्शन भी करवाने हेतु स्वीकृत करवा लिया है जबकि वास्तविक आधार पर मौके पर कुआ प्रतिवादी न0 1 की भूमि में अंकित है दावा झुठा एवं बनावटी बनाकर पेश किया अतः वादी का वाद खारिज फरमाया जावे।

प्रकरण में दिनांक 20.4.2017 को तनकीयात कायम की गई। वादी की ओर से गोपाल पुत्र कल्याण, के साक्ष्यस्वरूप शपथ पत्र पेश किये गये। तथा प्रतिवादी की ओर से साक्ष्यस्वरूप छीतर पुत्र कल्याण के शपथ पत्र पेश किये गये।

हमने बहस प्रार्थी अधिवक्ता व प्रतिवादी की सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता ने वाद में चाही गई अभियाचना को दौहराते हुए प्रतिवादीगण को पाबन्द फरमाया जाने एवं वादी की आराजी भूमि में उपयोग उपभोग में दखल नहीं किया जाने व मेड नहीं तोड़ने का निवेदन किया है। तथा अधिवक्ता प्रतिवादी ने जवाब के तथ्यों को दौहराते हुए वादी का भूमि पर कोई लेना देना नहीं होना बताया तथा चाह को अपनी खातेदारी 983 में दर्ज होना बताया है एवं नक्शाशीट में कुए की तीमीम गलत दर्ज करना बताया है। अतः वादी का वाद खारिज करने का निवेदन किया है।

वादी द्वारा प्रस्तुत दावे, प्रतिवादीगण प्रस्तुत जवाब दावे, साक्ष्यस्वरूप प्रस्तुत किये गये शपथ पत्र, वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात के आधार पर प्रकरण का तनकीवार विवेचन किया गया -

अर्पिता

तनकी नं० 1:- आया आराजी ख०न० 1140/2 कुल किता 2 रकबा 2 बीघा 08 बिस्वा ग्राम बगडी में वादी की खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि है। उक्त तनकी को सिद्ध करने का भार वादी का है।

इस तनकी को साबित करने हेतु वादी ने शपथ पत्र 1 जमाबन्दी एवं नक्शा शीट की फोटो प्रति पेश की उनका अवलोकन किया गया। प्रकरण में वादी का दस्तावेज एवं साक्ष्य से इस विवेचन के आधार पर तनकी संख्या 1 वादी के पक्ष में आशिक निर्णित की जाती है।

तनकी नं० 2:- आया विवादित आराजी के अडवा ख०न० 983 रकबा 5.13 बीघा भूमि है। जिसमें वादी का हक हिस्सा निहत है लेकिन भूमि प्रतिवादी नं० 1 के नाम होने इसकी आड में वादी को परेशान करने व भूमि से बेदखल करने पर अनादा है इस कारण उन्हें पाबन्द फरमाया जावे। उक्त तनकी को सिद्ध करने का भार भी वादी पर है, वादी ने ऐसा कोई दस्तावेजात एवं साक्ष्य में साबित नहीं किया है कि वादी का ख०न० 983 में हक हिस्सा है अतः यह तनकी भी वादी के विरुद्ध में निर्णित की जाती है।

तनकी नं० 3:-आया विवादित भूमि को प्रतिवादी नं० 1 ने कय कर कब्जा काश्त चले आ रहे है तथा उक्त चाह मौके पर ख०न० 983 में दर्ज है किन्तु ख०न० 1140 उक्त भूमि के अडवा होने से नक्शा शीट में गलत अंकन करवा लिया है।

इस तनकी को साबित करने का भार भी जिम्मे प्रतिवादी का है। जो कि वादी ने वाद के चरण नं० 5 में प्रकरण में ख०न० 1140/2 की भूमि के अडवा ही भूमि ख०न० 983 रकबा 5 बीघा 13 बिस्वा भूमि स्थित होना बताया है। जिसमें वादी का भी हक हिस्सा निहित है और वादी अपने हिस्से पर काबिज होकर काश्त कर रहा है। किन्तु उक्त भूमि प्रतिवादी के नाम है। वादी ने कोई दस्तावेज पेश नहीं किये है। प्रतिवादी नं० 1 अपनी खातेदारी भूमि में चाह का निर्माण कर रखा है। तथा प्रतिवादी की ओर से जवाब में सपष्ट जाहिर किया है कि वादी का उक्त भूमि पर कोई लेना देना नहीं होने से यह तनकी प्रतिवादी के पक्ष में निर्णित की जाती है।

तनकी नं० 4:-आया विवादित भूमि में वादी ने गलत तरमीम कराने के कारण वाद प्रतिवादीवादी को पाबन्द नहीं किया जा सकता है।

इस तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादी का है प्रतिवादी ने उक्त विवादित भूमि से सबंधी एक वाद और पेश किया जाना जाहिर किया है जिसमें रिपोर्ट पटवारी हल्का के अनुसार चाह का निर्माण ख०न० 983 में होना बताया है। अतः उक्त तनकी प्रतिवादी के पक्ष में निर्णित की जाती है।

आदेश

तनकी संख्या 1 वादी के विरुद्ध में निर्णित होने से आदेश दिये जाते है की वादी का वाद साबित नहीं होने से दावा खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 15.3.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

अर्पिता सोनी

(आर.ए.एस)

उपखण्ड अधिकारी पीपलू